न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 118/2017

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 सरोज पुत्री शुभराम जाति मेघवाल निवासी राजवीरपुरा तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1 टेकचन्द पुत्र रिछपाल।
2 प्रभुराम पुत्र रिछपाल।
3 मेहरचन्द पुत्र रिछपाल।
4 प्रताप पुत्र रिछपाल।
5 घड़सीराम पुत्र रिछपाल।
6 दाताराम पुत्र रिछपाल।
7 पतासी स्त्री शुभराम जात समस्त मेघवाल निवासी राजवीरपुरा तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

Lamo

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

8 सुमित्रा पुत्री शुभराम स्त्री शेरसिंह जाति मेघवाल निवासी राजवीरपुरा तहसील सुरजगढ़ हाल आबाद ठिचोली की ढ़ाणी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

9 सुरेश देवी पुत्री शुभराम पत्नी मनीराम जाति मेघवाल निवासी राजवीरपुरा हाल आबाद ठिचोली की ढ़ाणी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

10 वेदकोर पुत्री शुभकरण।

11 विद्या पुत्री शुभराम जाति मेघवाल निवासी राजवीरपुरा तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

12 कमलेश पुत्री शुभराम पत्नी जलेसिंह जाति मेघवाल निवासी राजवीरपुरा हाल आबाद तहसील लुहारू जिला भिवानी (हरियाणा)।

13 सन्तोष पुत्री शुभराम।

14 सविता पुत्री शुभराम।

15 सुनिता पुत्री शुभराम जाति समस्त मेघवाल निवासी राजवीरपुरा तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

16 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सुरजगढ़ जरिये प्रबन्धक तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

17 पंजाब नेशनल बैंक सुरजगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक।

18 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अ.धा0 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील विरूद्व निर्णय व डिकी दिनांक 05.05.16 बअदालत उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ मुकदमा उनवानी टेकचन्द बनाम प्रभुराम वगैरह मु.नं. 172/2015 दावा बबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

Lam

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव

अपील संख्या 119/2017

1 सरोज पुत्री शुभराम जाति मेघवाल निवासी राजवीरपुरा तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 टेकचन्द पुत्र रिछपाल।
2 प्रभुराम पुत्र रिछपाल।
3 मेहरचन्द पुत्र रिछपाल।
4 प्रताप पुत्र रिछपाल।
5 घड़सीराम पुत्र रिछपाल।
6 दाताराम पुत्र रिछपाल।
7 पतासी स्त्री शुभराम जात समस्त मेघवाल निवासी राजवीरपुरा तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
8 सुमित्रा पुत्री शुभराम स्त्री शेरसिंह जाति मेघवाल निवासी राजवीरपुरा तहसील सुरजगढ़ हाल आबाद ठिचोली की ढ़ाणी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
9 सुरेश देवी पुत्री शुभराम पत्नी मनीराम जाति मेघवाल निवासी राजवीरपुरा हाल आबाद ठिचोली की ढ़ाणी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
10 वेदकोर पुत्री शुभकरण।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

11 विद्या पुत्री शुभराम जाति मेघवाल निवासी राजवीरपुरा तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

12 कमलेश पुत्री शुभराम पत्नी जलेसिंह जाति मेघवाल निवासी राजवीरपुरा हाल आबाद तहसील लुहारू जिला भिवानी (हरियाणा)।

13 सन्तोष पुत्री शुभराम।

14 सविता पुत्री शुभराम।

15 सुनिता पुत्री शुभराम जाति समस्त मेघवाल निवासी राजवीरपुरा तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

16 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सुरजगढ़ जरिये प्रबन्धक तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

17 पंजाब नेशनल बैंक सुरजगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक।

18 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अ.धा0 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील विरूद्व निर्णय व डिकी दिनांक 05.05.16 बअदालत उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ मुकदमा उनवानी टेकचन्द बनाम प्रभुराम वगैरह मु.नं. 172/2015 दावा बबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

उपस्थित

1. श्री राजेश पूनियां अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—30.10.2018

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ द्वारा दावा संख्या 172/2015 में पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.05.2016 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 12.07.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों अपीलों में धारा 5 एवं अपील की मेन्टेलिबीलिटी पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित भूमि समान होने से दोनों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है निर्णय की दोनों पत्रावलीयों में प्रथक—प्रथक रखी जावें।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत दोनों अपीलों में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री की अपीलांट को जानकारी नही हुई न ही उसके अधिवक्ता ने उसको जानकारी दी। पटवारी से दिनांक 03.07.2017 को जानकारी होने पर जानकारी से अन्दर मियाद अपील पेश कर दी है। समर्थन में प्रपत्र प्रस्तुत कर दिया है धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

जावे विचारण न्यायालय ने अपीलांट की कोई सहमती नही दी हुई है अपीलांट के अधिवक्ता ने जो सहमती दी है वह अपीलांट की जानकारी के बिना दी है अपीलांट का प्रकरण सदभावी है अपीलांट अनपढ़ है ग्रामीण है कानूनी दाव पेच नही जानता है न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना चाहिए। अपने कथनों के समर्थन में अपीलांट ने डी.एच.जे. 2017 एस.सी. पेज 928, आर.आर.टी. 2007 (1) पेज 250, आार.आर.डी. 2002 पेज 343 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर आवेदन धारा 5 स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी कन्डोन करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की प्रारम्भ से जानकारी है पटवारी हल्का से जानकारी होने का कथन मिथ्या है देरी का सन्तोषजनक कारण नही बताया है विचारण न्यायालय में अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर निर्णय पारित किया है। दफा 96 (3) के मुताबिक अपील पोषणीय नही है अपीलांट ने अपने अधिवक्ता के विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही भी नही की है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने एवं 96 (3) के अन्तर्गत पोषणीय नही होने से खारिज की जावें। अपने कथनों के समर्थन में एआईआर 2006 एस.सी. पेज 2628–2639, आर.आर.डी 2018 पेज 485–489, एआईआर 1976 पेज 130–135, एआईआर 2002 एस.सी. पेज 204–205 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट के अधिवक्ता ने एकबाईलिया जवाब दावा प्रस्तुत कर सहमती प्रदान की है जिसके आधार पर विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किये है। अपीलांट ने कथन किया है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (केम्प झुन्झुनूं)

कि उनके अधिवक्ता ने उन्हे सूचित नही किया। अपीलांट का यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नही है क्योकि अपीलांट ने अपने अधिवक्ता के विरूद्व इस सन्दर्भ में कोई विधिक कार्यवाही की हो ऐसा कोई साक्ष्य अपील के स्तर पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री सहमती से होने के कारण धारा 96(3) सीपीसी के अन्तर्गत यह दोनों अपीले पोषणीय नही पाई जाती है एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 का आवेदन भी स्वीकार योग्य नही पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद बाहर होने एवं धारा 96(3) के अन्तर्गत पोषणीय नही होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

Lanio
30x/18

(करतार सिंह)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)